१७

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सरगुजा, छत्तीसगढ़

कलेक्ट्रेट परिसर, अम्बिकापुर

कम्पोजिट बिल्डिंग, B ब्लॉक प्रथम तल कक्ष क्र. 46, 47 एवं 48 **निर्वाचन तत्काल**

पत्र क्रमांक / 388 / निर्वा.नामा. / पुन.–2024 / 2023 अम्बिकापुर, दिनांक 26.12.2023

प्रति,

1. सर्व प्राचार्य,
   शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय / संस्थान..................................
2. जिला शिक्षा अधिकारी,
   जिला सरगुजा (छ0ग0)

विषयः– फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 में जिला स्तर पर उच्च शैक्षणिक संस्थानों में शिविर आयोजन के संबंध में।

संदर्भः– कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर का पत्र क्र. 01 / निर्वा.नामा. / पुन.–2024 / 8296 रायपुर, दिनांक 21.12.2023।

———000———

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई–दिल्ली के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के संबंध में जारी कार्यक्रम अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह कार्यक्रम आयोग द्वारा नियत समय सीमा में संपन्न कराया जाना है।

विदित हो कि वर्ष–2024 में लोकसभा आम निर्वाचन संपन्न होना है। प्रदेश के युवा एवं नए नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शत्–प्रतिशत पंजीयन कराये जाने हेतु आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी के साथ–साथ तीन अन्य अर्हता तिथियां 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर भी निर्धारित की गई है। अर्थात् पुनरीक्षण के दौरान 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा नागरिकों के साथ–साथ 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर 2024 को भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले छात्र–छात्राओं के प्रारूप–06 में अग्रिम आवेदन प्राप्त किये जावेंगे।

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्यक्रम में आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी 2024 को किया जावेगा एवं दिनांक 22 जनवरी 2024 तक दावा आपत्तियां प्राप्त की जावेगी।

प्रदेश अंतर्गत 18–19 आयु वर्ग के युवा नागरिकों का मतदाता सूची में पंजीकरण उनकी जनसंख्या के अनुपात में अपेक्षाकृत कम है। आयोग द्वारा इनका शतप्रतिशत पंजीयन पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। पूर्व में विधानसभा स्तर पर युवा नागरिकों के पंजीयन हेतु एवं अधिक से अधिक ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जाने Dedicated AERO की नियुक्ति की गई है, जिसकी सूची संलग्न है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि पुनरीक्षण के दौरान आपके जिला अंतर्गत प्रत्येक उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के मतदाता सूची में पंजीयन हेतु जागरूकता लाई जावे एवं इन संस्थानों में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु कैम्प भी आयोजित किये जायें।

महाविद्यालयों में शिविर के आयोजन हेतु महाविद्यालयीन स्तर पर नियुक्त नोडल अधिकारी (प्रोफेसर) तथा संबंधित ERO/AERO/BLO Supervisor को भी निर्देशित किया गया है। उक्त शिविर में कैम्पस एम्बेसेडर को भी निर्देशित किया जावे।

पुनरीक्षण अवधि के दौरान Dedicated AERO के माध्यम से उच्च शैक्षणिक संस्थानों में **दिनांक 28.12.2023 से 04.01.2024** के मध्य कैम्प आयोजित किया जावे, इन कैम्पों में प्राप्त किये गये आवेदनों की संख्यात्मक जानकारी संलग्न प्रारूप में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला–सरगुजा (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/389/निर्वा.नामा./पुन.–2024/2023–24 अम्बिकापुर, दिनांक 26.12.2023

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, सरगुजा संभाग सरगुजा को सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, सरगुजा को सादर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक, सरगुजा को सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं नोडल अधिकारी (स्वीप) को सादर सूचनार्थ।
5. कुलसचिव, संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
6. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण सरगुजा को सूचनार्थ ।
7. अनुविभागीय अधिकारी (रा.)..को सूचनार्थ।
8. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क सरगुजा को सूचनार्थ।
9. नोडल प्राध्यापक (स्वीप) .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
जिला–सरगुजा (छ.ग.)

शैक्षणिक संस्थाओं में आयोजित केम्प में प्राप्त आवेदनों की जानकारी

विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम	Dedicated AERO का नाम एवं पदनाम	शैक्षणिक संस्थान का नाम	आयोजित केम्प की तिथि	प्राप्त आवेदनों की संख्या (प्ररूप–6 में)
1	2	3	4	5

उप जिला निर्वाचन
अधिकारी के हस्ताक्षर